राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज–2)

JICA द्वारा ऋण एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से संचालित

संवाद पत्र

अंक - 5 जनवरी से मार्च 2017

उच्चाधिकार समिति एवं साधारण सभा की बैठक का आयोजन

(दाएं से) माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी, अति. मुख्य सचिव वन एव पर्यावरण श्री निहाल चन्द गोयल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) श्री अनिल कुमार गोयल, शासन सचिव (वन) श्री वाई. के. दक, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) डॉ. सुरेश चन्द्र एवं परियोजना निदेशक (RFBP-2) श्री राजीव गोयल

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी की उच्चाधिकार समिति की तृतीय बैठक श्रीयुत गजेन्द्र सिंह जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 01.03.2017 को आयोजित की गई जिसमें श्री निहाल चन्द गोयल (अति. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग), श्री ए. के. गोयल (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), श्री कुंजीलाल मीणा (शासन सचिव, पशुपालन), श्री राजेश शर्मा (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग), श्री मनिन्दर जीत सिंह (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), श्री जाकिर हुसैन (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त), श्री के. सी. शर्मा (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना) एवं श्री आर.के.गोयल परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी–2 (सदस्य सचिव) ने भाग लिया।

परियोजना निदेशक श्री आर.के. गोयल के स्वागत उद्‌बोधन के बाद बैठक में उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2015–16 में परियोजना के अन्तर्गत 210.00 करोड़ रूपये का संशोधित बजट के विरूद्व मार्च, 2016 तक व्यय की गई 206.20 करोड़ की राशि का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2016–17 हेतु 180 करोड़ के संशोधित बजट एवं संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।

परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु 98.00 करोड़ रूपये का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस पर चर्चा की गयी। समिति द्वारा कोटा एवं अजमेर जिले में एक–एक बायोलोजिकल पार्क विकसित करने हेतु आर.एफ.बी.पी. परियोजना से बजट उपलब्धता की सम्भावना तलाश करने के बारे में चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त वार्षिक योजना 2017–18 में बायोलोजिकल पार्क कोटा (अभेड़ा) हेतु 10.00 करोड़ रू. एवं बायोलोजिकल पार्क अजमेर हेतु 5.00 करोड़ रू. का प्रावधान उक्त वार्षिक योजना में करवाये जाने के निर्देश दिये गये।

परियोजना निदेशक की कलम से ...

31 मार्च 2017 को न केवल तिमाही की समाप्ति हुई बल्कि वित्तीय वर्ष 2016–17 का भी समापन हुआ। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी परियोजना ने लगभग सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया और उत्साहजनक प्रगति दर्ज की है। वृक्षारोपण कार्य लगभग 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और अवशेष क्षेत्र में अग्रिम कार्य हो चुका है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में शामिल समस्त अधिकारियों, फील्ड स्टॉफ एवं समिति सदस्यों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लगभग सभी घटकों में 90 प्रतिशत या अधिक लक्ष्य की प्राप्ति दर्ज हो चुकी है। देश में JICA द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाओं में वार्षिक वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा दूसरा स्थान तथा वानिकी क्षेत्र में पहला स्थान है जो हर्ष विषयक है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 परियोजना का सातवां वर्ष होगा और अब हम परियोजना के अंतिम चरण यानी क्लोजिंग फेज में प्रवेश कर रहे हैं। आखिरी दो वर्षों में पूर्ण ध्यान, प्रयास एवं ऊर्जा समितियों एवं समूहों के सशक्तिकरण एवं उनको आत्म निर्भर बनाने में समर्पित करने का प्रयास रहेगा। परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति सही मायनो में तभी होगी जब ये आधारभूत संस्थाएं अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो जाएं और परियोजना अंतर्गत निर्मित परिसम्पतियों के रख रखाव की जिम्मेदारी उठा सकें।

एक बार फिर से गत वर्ष की उपलब्धियों के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, NGOs व अन्य हितधारकों को बधाई तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए शुभकामनाएं !!!

– **आर.के. गोयल** (आई.एफ.एस).
परियोजना निदेशक

प्रस्तावित वार्षिक योजना एवं बजट वर्ष 2017–18 का तदानुसार 113 करोड़ रू. की व्यय सीमा के साथ अनुमोदन किया गया।

आर.एफ.बी.पी. परियोजना के अन्तर्गत अब तक करवाये गये कार्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा विस्तृत विवरण विधानसभा/संसदीय क्षेत्रवार तैयार करने के निर्देश दिये गये। योजना के अन्तर्गत जो अच्छे कार्य हुये है उनका आम जन में प्रचार–प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये।

उच्चाधिकार समिति की बैठक के पश्चात साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्म सदस्यों ने भी भाग लिया : श्री वाई.के.दक (शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय), श्री अरिंदम तोमर (प्रतिनिधि, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक), श्री अक्षय सिंह (अति. परियोजना निदेशक (विकास), आर.एफ.बी.पी–2) श्री आर.एन. मीणा (उप वन संरक्षक, झुन्झुनू), श्रीमती सोनल जोरिहर (उप वन संरक्षक, जयपुर दक्षिण), श्री योगेन्द्र सिंह (उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर), श्री विजय प्रकाश (उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर चिड़ियाघर), श्री बी.के. शर्मा (रीजनल टीम लीडर, फाउंडेशन फॉर इकोलोजिकल सिक्योरिटी (एफ.ई.एस.), भीलवाड़ा)

परियोजना निदेशक श्री आर.के. गोयल के स्वागत उद्‌बोधन के बाद बैठक में साधारण सभा की द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी गयी। सदस्य सचिव द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी समस्त माननीय सदस्यों को दी गयी। तदुपरांत चर्चा की जाकर रिपोर्ट का अंगीकरण एवं अनुमोदन किया गया।

परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण कार्य के लिए मैसर्स गुप्ता नायर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति की गई थी जिनके द्वारा अंकेक्षण कार्य (वैधानिक एवं व्यय) पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। निर्देश दिये गये कि अंकेक्षक द्वारा आक्षेपित राशि को पूर्ण औचित्य के साथ समायोजन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से दिसम्बर, 2016 तक हुए व्यय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। चालू वित्तीय वर्ष आठ वर्षीय परियोजना का छठा वर्ष है, तदनुसार दो वर्ष की अवधि शेष है। फिर भी अनेक घटकों में शत प्रतिशत अथवा लगभग शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है। निर्देश दिये गये कि परियोजना अवधि में ही समस्त लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे। इसके साथ ही वर्ष 2016–17 की संशोधित कार्य योजना एवं बजट तथा वर्ष 2017–18 की प्रस्तावित वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया।

अंत में परियोजना निदेशक श्री आर.के. गोयल ने सभी उपस्थिति सम्माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

वन मण्डलों की समीक्षा बैठक का आयोजन

परियोजना के अन्तर्गत आने वाले वन मंडलों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन 23 जनवरी 2017 को अरावली भवन जयपुर स्थित परियोजना निदेशालय में दो सत्रों में किया गया। बैठक के प्रथम सत्र के दौरान अग्रिम कार्यों, वृक्षारोपण कार्यों, एनीकट निर्माण, प्रवेश बिंदु कार्यों, मीटिंग सेंटर निर्माण, कृषि वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। विभिन्न मंडलों से बैठक में भाग लेने आये अधिकारियों से परियोजना निदेशक श्री आर. के. गोयल एवं संयुक्त परियोजना निदेशक श्री अक्षय सिंह ने परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक के दूसरे सत्र में श्री ए. के. गोयल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), डॉ. सुरेश चन्द्र (अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास), श्री ए.एस. बरार (अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू संरक्षण) एवं श्री अजय गुप्ता (मुख्य वन संरक्षक) ने भी अधिकारियों को संबोधित किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक सुझाव

गत तिमाही में निदेशालय स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में हुई चर्चा एवं विभिन्न मण्डलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक **सुझाव/दिशानिर्देश** :

1. लगभग सभी स्वयं सेवी संस्थाओं के नियोजन को पांच वर्ष हो चुके हैं, परन्तु कई क्षेत्रों में अभी भी निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रथम तिमाही में ही लम्बित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

2. जिन समितियों में अब तक एक भी स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं किया जा सका है, वहां तुरन्त प्रभाव से स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

3. स्वयं सहायता समूह के गठन, उनकी क्षमता संवर्द्धन एवं आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों की माहवार कार्ययोजना तैयार कर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

4. समितियों के लेखा संवर्द्धन कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये जिससे उनका अंकेक्षण कराया जा सके।

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 परियोजना के अंतिम चरण (Exit Phase) की शुरूआत है। इस चरण में स्वयं सेवी संस्थाओं का पूरा ध्यान समितियों एवं समूहों को सशक्त करने एवं आत्मनिर्भर बनाने पर केन्द्रित रहना वांछित है।

'सतत् वन प्रबंधन एवं जन सहभागिता' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

वन विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा, जाइका के सहयोग से, वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं की नवी वार्षिक कार्यशाला का आयोजन कोलकत्ता में जनवरी 2017 में किया गया। इस कार्यशाला का विषय था – सतत् वन प्रबंधन में जन सहभागिता एवं प्रबंधन का आधुनिकीकरण। इस कार्यशाला के दौरांन विभिन्न सत्रों में लोक भागीदारी के माध्यम से सतत वन प्रबंधन, आजीविका विकास, क्षमता निर्माण के माध्यम से संस्थागत विकास एवं भारत में जाइका से सहायता प्राप्त वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी आधारित वन प्रबंधन प्रणाली जैसे विषयों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा संभावनाओं एवं चुनौतियों का आंकलन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वन विभाग के प्रतिनिधियों को (जो कि संबंधित राज्यों में जाइका से सहायता प्राप्त वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल हैं) अनुभव साझा करने और क्रॉस लर्निंग के लिए एक उपयोगी मंच उपलब्ध कराया गया।

पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्य सचिव श्री बासुदेब बनर्जी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया. श्री मासायूकी तागा (कोलकात्ता में जापान के कौंसल जनरल), श्री चन्दन सिन्हा (प्रमुख सचिव, वन) एवं श्री प्रदीप शुक्ला (पीसीसीएफ (हॉफ), पश्चिम बंगाल) ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यशाला में मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज–2) के परियोजना निदेशक श्री आर.के. गोयल ने भी एक तकनीकी सत्र को संबोधित किया तथा 'राजस्थान में सतत् वन प्रबंधन में जन सहभागिता' पर अपने विचार रखे। उन्होंने राज्य में वनों की ऐतिहासिक, कुछ समय पूर्व की तथा वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी तथा वन प्रबंधन में जन सहभागिता के उत्कृष्ट परिणामों पर प्रकाश डाला।

कृषि वानिकी प्रशिक्षण

परियोजना अन्तर्गत आजीविका विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषि वानिकी कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वनमंडल, वन्य जीव राजसमंद में एग्रोफोरेस्ट्री नर्सरी स्थापना पर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। रावली, भीम तथा कुंभलगढ़ रेंज में स्वयं सेवी संस्था सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES) के साथ मिलकर आयोजित किये गए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप स्वयं सहायता समूह (बीण, रावली), देवनारायण स्वयं सहायता समूह (ढ़ाणा, भीम) एवं भैरुनाथ स्वयं सहायता समूह (ओडवाड़िया, कुम्भलगढ़) के 57 सदस्यों के अलावा वन रक्षक, वनपाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक सहित कुल 128 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रशिक्षण FES के कंसलटेंट डॉ. सतीश शर्मा (से. नि. स.व. स.) ने दिया। उन्होंने बताया कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में स्थानीय ईको डेवलपमेंट समितियों की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही स्थानीय स्वयं सहायता समूह कृषि वानिकी द्वारा पौध रोपण को बढ़ा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :

- कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ क्षेत्र की जैव विविधता।
- जैव विविधता का मानव जीवन में महत्त्व।
- पादप, वनस्पतियों के पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय एवं मानवीय महत्त्व।
- नर्सरी स्थापना हेतु क्षेत्र का चयन, भूमि की तैयारी, बैड निर्माण एवं थैलियों की भराई आदि।
- उचित पौध प्रजाति का चयन, स्थानीय मांग आधारित पौध तैयारी, खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा सिंचाई पद्धतियां।
- पौध तैयार एवं पौध बिक्री हेतु स्थानीय मांग एवं बाजार का आंकलन समूह चर्चा तथा एनजीओ के क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर किया गया।

सफलता की कहानियाँ

आजीविका हेतु नर्सरी की स्थापना

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 के अन्तर्गत मंडल प्रबंध इकाई पाली में चांग वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति का गठन वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया था। समिति के गठन की प्रक्रिया के दौरान आयोजित जागरूकता शिविरों में स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों ने परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गरीबी उन्मूलन एवं आय सृजन गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा स्वयं सहायता समूह के महत्त्व को बताया। गांव में समिति के सदस्यों के साथ कई बार बैठक करने के बाद महिलाओं का 11 सदस्यी दयाघर बाबा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। समूह के गठन के बाद महिलाओं ने नियमित बैठक करना चालू किया तथा नियमित मासिक बचत के साथ साथ आपसी लेन देन शुरू किया। कुछ समय बाद समूह ने बैंक में खाता खुलवाकर चांग सुरक्षा समिति में पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन किया।

समूह की नियमित मासिक बैठकों के दौरान कोई आय सृजन गतिविधि चुनने पर विचार विमर्श किया गया तथा एक पौधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया। विभाग के कर्मचारियों एवं स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधियों से भी इस बारे में चर्चा की गयी। समूह के सदस्यों को पौधशाला में पौध निर्माण की कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी। अतः सदस्यों को वन विभाग की नर्सरी में पौध निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के उपरान्त समूह के सदस्यों ने गांव में खाली जमीन किराये पर ली और पौधशाला स्थापन की प्रक्रिया चालू की। सबसे पहले भूमि को समतल करके क्यारियां बनाई गई। इसके बाद पालीथीन की थैलियां खरीद कर उसमें मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरा गया। फिर उसमे बीज डाले गए तथा पानी डाला गया। समूह के सदस्यों ने बारी बारी पानी देने एवं खरपतवार निकालने के काम को आपस में बांट लिया।

समूह को पौध तैयार करने के लिए परियोजना द्वारा 50000 रूपए का ऋण भी दिया गया जिसकी मदद से पौध तैयार करने के लिए जरूरी सामग्री खरीदी गई। समूह ने परियोजना द्वारा प्रदान आर्थिक सहायता से करीब 5000 पेड़ तैयार करने का लक्ष्य रखा जिसमें 3500 पेड़ टीक के तथा 1500 पेड़ कैर, पलाश एवं जामुन के थे। इस क्षेत्र की अति कठोर जलवायु के कारण करीब 3000 पौधे मर गए और केवल 2000 टीक के पौधे ही जीवित रह पाए। मौके की नाजुकता को देखते हुए विभाग ने सभी बचे हुए पौधों को सेंदरा स्थित विभाग की नर्सरी में स्थानान्तरित कर दिया। वर्तमान में लगभग 1500 पौधे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष में इनको बेच दिया जायेगा। करीब 150 रूपए प्रति पौधे के हिसाब से समूह को 225000 रूपए की आय होगी जिसमें से ऋण चुकाने एवं अन्य खर्चों के बाद प्रति व्यक्ति करीब 15000 रूपए की आय प्राप्त होगी।

एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि समूह सदस्यों ने वन विभाग की भूमि पर ग्वार पाठा का भी वृक्षारोपण अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिया किया। ग्वार पाठा वृक्षारोपण का विचार पाली में आयोजित एक्सपोज़र विजिट में भाग लेने के बाद समूह की महिलाओं को आया। इस एक्सपोज़र विजिट के दौरान प्रतिभागियों को ग्वार पाठा प्रसंस्करण केंद्र में ग्वार पाठा में मूल्य संवर्धन प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। एक्सपोज़र विजिट से वापस लौटने के बाद समूह सदस्यों ने आपसी बैठक में विचार विमर्श के बाद ग्वार पाठा वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया तथा परिभ्रांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य चालू किया। समूह के सदस्य प्रसंस्करण केंद्रों के भी संपर्क में हैं जहां ग्वार पाठा बेच कर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। दयाघर बाबा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की पहल को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर काम करने की सच्ची लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बिना किसी पूर्व तकनीकी ज्ञान होने के बावजूद केवल मेहनत और सकारात्मक पहल से जिस प्रकार इस समूह के सदस्यों का आर्थिक भविष्य सुधरा है वह एक अनुकरणीय कदम है।

सफलता की कहानियाँ

'तुम्बा' संग्रहण द्वारा आजीविका अर्जन

मंडल प्रबंध इकाई, ईगानप – 2 जैसलमेर के अन्तर्गत गांव बगराराम की ढाणी में निर्मला स्वयं सहायता समूह का गठन अक्टूबर 2015 में किया गया था। इस समूह में 10 महिलाएं सदस्य हैं। ग्रामीण परिवेश में पली–बढ़ी ये महिलाएं बिना किसी आय के साधन के पारम्परिक रूप से जीवन यापन कर रहीं थी। परियोजना के प्रचार प्रसार से गांव के लोगों में आय के वैकल्पिक साधनों के बारे में जागरूकता बड़ी तथा पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी आत्म निर्भर होने के लिए इस दिशा में सोचना शुरू किया। स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों के लगातार प्रयासों एवं समझाइश के बाद गांव की इन दस महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए समूह बनाने का निर्णय लिया।

समूह के गठन के उपरान्त सदस्यों ने पंचसूत्रों का पालन करते हुए नियमित बैठकें आयोजित की और नियमित बचत भी करना प्रारम्भ किया। कुछ समय तक आपसी लेन देन की प्रक्रिया का पालन कर समूह ने राष्ट्रीय कृत बैंक में बचत खाता खुलवा लिया।

समूह की अपेक्षित संस्थागत सुदृढ़ीकरण के पश्चात सदस्यों ने आय सृजन के लिए पारम्परिक फल तुम्बा के संग्रहण एवं बिक्री का निर्णय लिया। तुम्बा एक औषधीय फल है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। संग्रहण को सुगम बनाने एवं बिक्री के सेतु स्थापित करने के लिए परियोजना द्वारा समूह को 50000 रूपये का ऋण भी उपलब्ध कराया गया।

वर्तमान में समूह की महिलाएं तुम्बा के संग्रहण के पश्चात उसे मांग के अनुसार स्थानीय बाजार में, व्यापारियों को एवं प्रदर्शनियों में सीधे ग्राहकों को बेच रही हैं। इस प्रकार प्रत्येक महिला अन्य कार्यों के साथ साथ करीब 1500–1600 रूपये प्रति माह की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है।

Physical Progress for the period January 2017 to March 2017

S. No.	Items	Unit	Target as per Project Report	Achievement up to FY 2015-16	FY 2016-17						Total 2016-17	Cummulative Achievement
					Target		Achievement					
					BE	RE	1st Quarter (April'16 to June'16)	2nd Quarter (July'16 to Sept.'16)	3rd Quarter (Oct.'16 to Dec.'16)	4th Quarter (Jan.'17 to Mar.'17)		
1	**Afforestation Work**											
a.	Advance Action	Ha.	83650	78068	5358	5608			272	5306	5578	83646
b	Planting	Ha.	83650	51511	26807	26407	1125	24410	872	0	26407	77918
2	**Water Conservation Structures**											
a.	Anicut Type-I	Nos.	600	30	580	265	5	8	1	260	274	304
b	Anicut Type-II	Nos.	400	63	233	56	2			207	209	272
c	Check Dams	Cumt.	200000	134670	68629	61000	29742	24896	1459	9014	65111	199781
d	Contour bonding	Rmt.	500000	340311	174837	145000	62653	64275	15410	8629	150967	491278
e	Percolation Tank	Nos.	700	434	266	266	106	121	14	23	264	698
f	Renovation / restoration of TWHS	Nos.	200	130	66	70	14	36	2	18	70	200
g	Silt Detention Structure	Nos.	300	213	87	87	33	12	8	30	83	296
h	Gabion Structures	Nos.	500	331	171	172	51	45	8	63	167	498
3	**Biodiversity Conservation**											
a.	DLT Works	Ha.	12000	9161	2839	1835	1002	512	66	255	1835	10996
b.	Development of Water Points	Nos.	100	100			NIL					100
b.	Closure for Biodiversity Conservation	Ha.	5000	4205	795	795	60	397	274	64	795	5000

Financial Progress for the period January 2017 to March 2017

Rs. In Lacs.

S.No.	Package / Budget Head	Expenditure upto FY 2015-16	FY 2016-17						Total Expenditure 2016-17	Cummulative Expenditure
			BE	RE	Exp. 1st Quarter (April'16 to June'16)	Exp. 2nd Quarter (July'16 to Sept.'16)	Exp. 3rd Quarter (Oct.'16 to Dec.'16)	Exp. 4th Quarter (Jan.'17 to Mar.'17)		
1	Afforestation	35528.36	12326.31	12334.27	994.42	4161.95	2571.30	4302.58	12030.25	47558.60
2	Agro Forestry Activities	4.99	42.60	55.97	0.00	1.44	0.00	34.31	35.75	40.74
3	Water Conservation Structures	2048.13	3689.55	1759.58	336.52	320.11	148.40	1909.49	2714.52	4762.64
4	Biodiversity Conservation	9048.62	1556.04	1244.92	276.04	340.94	203.28	358.29	1178.55	10227.17
5	Poverty Alleviation and Livelihood Improvement	361.66	312.00	167.00	0.00	6.89	7.70	74.01	88.60	450.26
6	Capacity Building, Training & Research	167.62	258.12	125.82	0.00	5.03	16.83	42.75	64.61	232.23
7	Community Mobilisation	3819.41	815.30	1363.99	40.06	202.81	100.50	673.80	1017.17	4836.59
8	Project Management	1571.36	505.70	492.25	32.43	77.29	42.37	108.39	260.48	1831.84
9	Monitoring & Evaluation	148.69	78.00	44.50	0.57	1.66	1.14	9.71	13.08	161.76
10	Contractual Personnel for PMU	742.59	282.00	281.70	58.95	51.54	56.32	79.15	245.96	988.55
	Total	**53441.42**	**19865.62**	**17870.00**	**1738.99**	**5169.66**	**3147.84**	**7592.48**	**17648.97**	**71090.38**
11	Administrative Cost	467.14	134.38	130.00	28.04	25.94	28.38	28.78	111.14	578.28
12	VAT & Import Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**467.14**	**134.38**	**130.00**	**28.04**	**25.94**	**28.38**	**28.78**	**111.14**	**578.28**
	Grand Total	**53908.56**	**20000.00**	**18000.00**	**1767.03**	**5195.60**	**3176.22**	**7621.26**	**17760.11**	**71668.66**

संपादक मण्डल:

संरक्षक
आर.के. गोयल
परियोजना निदेशक

संपादक
अक्षय सिंह
संयुक्त परियोजना निदेशक

सहायक संपादक
आर .के. खैरवा
संजय प्रकाश भादू

संयोजन
संयोग मिश्र

साज-सज्जा
गिरधारी लाल चौधरी

प्रकाशक : राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज–2), अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर (राज.) 302004, फोन : 0141–5199660